अपील क्रमांक 211/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /03/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 211/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री आर.के. नेताम, एल.पाकेट 8 A मरोदा, सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) मो.नं. 9174452803	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.03.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री आर.के. नेताम द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.02.2025 तथा दिनांक 21.02.2025 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 05.03.2025 को कक्ष क्र.SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी श्री आर. के. नेताम उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा "31/12/2024 की स्थिति में छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मानचित्रकार (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद में कार्यरत सहायक अभियंता का नाम एवं पदस्थापना की स्थान की जानकारी" चाही गई थी, परन्तु मुझे दिनांक 27.04.2018 की स्थिति में उपलब्ध कराया गया। अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.02.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 21.02.2025 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दि. 05.03.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 05.03.2025 को अपीलार्थी उपस्थित हुये। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा" 31/12/2024 की स्थिति में छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मानचित्रकार (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद में कार्यरत सहायक अभियंता का नाम एवं पदस्थापना की स्थान की जानकारी" चाही गई थी, परन्तु मुझे दिनांक 27.04.2018 की स्थिति में उपलब्ध कराया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.02.2025 प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त हेतु नस्ती स्थापना कक्ष की ओर दिनांक 02.01.25 को प्रस्तुत की गई। स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में नस्ती दिनांक 17.01.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी 02 पृष्ठों में समाहित है। उक्त जानकारी के लिए अपीलार्थी को 2×2=4 रू. मंगाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/279/छ.ग./24/761, दिनांक 20.01.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 31.01.2025 को स्पीड पोस्ट शुल्क सहित राशि 50.00 (रू. पचास) पो.ऑ. के माध्यम से जमा करने पर,उन्हें पत्र क्रमांक 4112275/279/छ.ग./2024/1179, दिनांक 04.02.2025 को वांछित जानकारी प्रेषित की गयी।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध न कराकर अधूरी जानकारी उपलब्ध करायी है? प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी के संबंध स्थापना कक्ष के नस्ती इंचार्ज श्री रमेश देवांगन सहायक वर्ग–2 से "31/12/2024 की स्थिति में छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मानचित्रकार (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद में कार्यरत सहायक अभियंता का नाम एवं पदस्थापना की स्थान की जानकारी" के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराने कहा गया। नस्ती इंचार्ज ने अवगत कराया कि आवेदक के आवेदन में उल्लेखित मानचित्रकार (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद में कार्यरत सहायक अभियंता की जानकारी स्थापना कक्ष मे पृथक से संधारित नहीं की जाती है। इस लिये कार्यालयीन रिकार्ड में उपलब्ध मानचित्रकार (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद हुई पदोन्नती संबंधी आदेश दिनांक 27.04.2018 की प्रति आवेदक को उपलब्ध करायी गयी है।

6. प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी, तत्संबंध में उपलब्ध करायी गयी जानकारी तथा स्थापना के नस्ती इंचार्ज द्वारा अवगत करायी गयी वस्तुस्थिति से यह पाया जाता है कि आवेदक के आवेदन में वांछित जानकारी पृथक रूप से कार्यालय में संधारित किया जाने वाला दस्तावेज नहीं है। आवेदक स्वयं विभाग में मानचित्रकार (वि./यां) के पद पर पदस्थ हैं एवं उन्होंने पदोन्नति हेतु जानकारी चाही है। कार्यालय में शासन द्वारा जारी सहायक .अभियंता (वि./यां) की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में पदक्रम सूची संधारित है, जिसमें उपअभियंता (वि./यां) तथा मानचित्रकार (वि./यां) दोनो संवर्ग से पदोन्नत सहायक अभियंता (वि./यां) के नामों के साथ ही सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंता (वि./यां) के नाम भी सम्मिलित होते हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक को पूर्व में उपलब्ध करायी गयी जानकारी दिनांक 27.04.2018 का पदोन्नति आदेश तथा दिनांक 01.04.2024 को संधारित सहायक अभियंता (वि./यां) की पदक्रम सूची का आवेदक द्वारा स्वयं अध्ययन करने पर, उनके आवेदन में वांछित जानकारी उपलब्ध हो सकती है। अतः स्थापना शाखा के इंचार्ज को दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में शासन द्वारा जारी सहायक अभियंता (वि./या.) की पदक्रम सूची निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

7. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी "31/12/2024 की स्थिति में छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मानचित्रकार (वि./यां.) से सहायक अभियंता (वि./यां.) के पद में कार्यरत सहायक अभियंता का नाम एवं पदस्थापना की स्थान की जानकारी" पृथक से कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। अतःइस संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/279/छ.ग./2024/1179, दिनांक 04.02.2025 में उपलब्ध करायी गयी जानकारी अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत है। अपील के न्याय संगत निराकरण की दृष्टि से अपील की सुनवायी के दौरान ही कार्यालय में संधारित शासन द्वारा जारी दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में सहायक अभियंता (वि./यां) की पदक्रम सूची की प्रति (9 पृष्ठों में) अपीलार्थी/आवेदकको निःशुल्क उपलब्ध करा दिये जाने के कारण अपील निराकृत की जाती है।

..........3

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./211/बो.प्र./नि.स./2025/2117 नवा रायपुर, दिनांक 05/03/2025

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री आर.के. नेताम, एल. पाकेट 8 A मरोदा, सेक्टर भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन–493551 मो.नं. 9174452803 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

5/3/25

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)